भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2148

06.08.2026 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का दायरा

2148. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण :

श्री राजिन्दर गुप्ता :

श्री सुभाष बराला :

श्री बृज लाल :

श्री संजय भाटिया :

श्री शंभू शरण पटेल :

श्री मिथलेश कुमार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पश्चात इसके अंतर्गत प्राप्त पारिस्थितिक परिणामों और पर्यावरणीय लाभों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी, सत्यापन और दीर्घकालिक पारिस्थितिक मूल्यांकन के लिए कोई ढांचा विकसित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वृक्षारोपण और जल संरक्षण के अलावा इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) हरित क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु एक अभिनव तंत्र है जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का समर्थन करने वाले व्यवहार परिवर्तन की ओर समुदाय को प्रेरित करके संधारणीय जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और रीतियों को अपनाकर हरित आवरण को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना, अवक्रमित भूमि को बहाल करना और कार्बन पदचिह्न को कम करना है।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वन भूमि का पुनर्स्थापन करना है। हरित क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाने वाले अवक्रमित वन भूमि के भू-खंडों का चयन संबंधित राज्य वन विभाग द्वारा स्थल पर समुचित सत्यापन के उपरांत किया जाता है तथा उनका पंजीकरण किया जाता है।

हरित क्रेडिट का दावा किसी आवेदक द्वारा तभी किया जा सकता है, जब पुनर्स्थापन कार्य के कम-से-कम पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हों तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत चंदवा घनत्व प्राप्त कर लिया गया हो। रोपित पौधों तथा प्राकृतिक पुनर्जनन को विकसित होकर पर्याप्त चंदवा आवरण तैयार करने के लिए पाँच वर्ष की स्थापना अवधि निर्धारित की गई है, ताकि निर्धारित 40 प्रतिशत चंदवा घनत्व प्राप्त किया जा सके, जो मध्यम सघन वन के अनुरूप है।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत नामित "नामित एजेंसी" हरित क्रेडिट के दावे का सत्यापन करेगा तथा आवेदक द्वारा हरित क्रेडिट जारी किए जाने के लिए किए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत बहाली कार्यकलापों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक विस्तृत नियमावली विकसित किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा प्रदान की जा सके।

(घ) एवं (ड.) वर्तमान में हरित क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण तथा अवक्रमित वन भूमि के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिए कार्यान्वयन संबंधी कार्यविधियाँ अधिसूचित की जा चुकी हैं।
